लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश –462023

Email ID : ucrs.dpi@mp.gov.in

क./यू.सी.आर./सी/09/ भोपाल/2026/ 1446 भोपाल, दिनांक 17-07-2026

//प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) नियोजन 2026 अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन संबंधी सूचना //

कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) चयन परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत एमपी ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov.in पर प्रोफाइल पंजीयन एवं दस्तावेज अपलोड संबंधी कार्यवाही दिनांक 18 जुलाई 2026 से प्रारंभ की जा रही है। काउंसलिंग की समय सारिणी निम्नानुसार है:–

1. प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेज अपलोड एवं जिला विकल्प चयन 18 जुलाई 2026 से दिनांक 20 जुलाई 2026 तक
2. दस्तावेज सत्यापन (जिला स्तर पर) दिनांक 19 जुलाई 2026 से दिनांक 21 जुलाई 2026 तक

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त निर्धारित अवधि में एमपी ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov.in पर प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं जिला चयन की कार्यवाही पूर्ण कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करें। पदस्थापना हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित सभी जिलों को प्राथमिकता कम देना अनिवार्य है। दस्तावेज अपलोड करने के अगले दिवस उन्हे स्वयं द्वारा चयनित दस्तावेज सत्यापन केन्द्र पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवाना है। उक्तानुसार कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी चयन प्रकिया से बाहर हो जायेगे एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निरंतर एमपी ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov.in देखते रहे।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के. के. द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462023

क्र./UCR/C/02/2025–26/1439 भोपाल, दिनांक 17-07-2026

प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) नियोजन 2026

चयनित एवं पात्र आवेदकों के लिये निर्देशिका

1/ मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय–समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे 'भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, वर्ष 2025" में आयोजित की गई । इसमें विशेष शिक्षकों के 3200 पद भी सम्मिलित थे। नियमपुस्तिका की कण्डिका 7.7 के संबंध में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया है तथा चयन परीक्षा के आवेदनपत्र में विशेष शिक्षा वाले कॉलम में YES किया है, उन्हे विशेष शिक्षक(प्राथमिक शिक्षक) के पद पर मेरिटक्रम में नियुक्ति देने का प्रावधान है। इस क्रम में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम अनुसार चयन सूची एवं शेष पात्र अभ्यर्थियों में जिन अभ्यर्थियों द्वारा विशेष शिक्षा के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत किया है उनके दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

2/ विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियॉ–कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार

3/उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता, आयुसीमा, आरक्षण, निरर्हताएं इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका अनुसार लागू होंगें। (संलग्न – नियम पुस्तिका)

4/ अधिनियम/नियम/निर्देश/विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश ही मान्य होंगे।

5/विशेष शिक्षक के पद वाले अभ्यर्थियों के लिए RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा की अर्हता एवं RCI वैध CRR नंबर होना आवश्यक होगा, तभी उनकी अभ्यर्थिता मान्य हो सकेगी।

6/ अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम/नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। विवरण एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं।

7/ प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) – एम.पी. ऑन लाईन को पोर्टल शुल्क रु 100 (7 दस्तावेज अपलोड सहित) देय होगा। अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रू. प्रति दस्तावेज के मान से देय होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

8/ अभ्यर्थी ऑनलाईन प्रक्रिया /तकनीकी समस्या के समाधान के लिये MPOnline के कस्टमर केअर नं. 0755–6720200 पर समय प्रातः 9:30 बजे से सांय 7:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

89/ दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया

(9.1) कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देशिका के संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेज https://trc.mponline.gov.in पर निर्धारित समयावधि में अपलोड करने होंगें।

(9.2) दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में कौन से केन्द्र पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त, लोक शिक्षण को होगा।

(9.3) इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत पदस्थापना हेतु जिले के प्राथमिकता क्रम का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त जिलों को प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। तदुपरांत लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा।

(9.4) जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगें।

(9.5) दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अगले दिवस अभ्यर्थी स्वयं द्वारा चयनित सत्यापन केन्द्र पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होगे। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 स्व हस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगें। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगें तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आई डी यथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होगें। निर्धारित तिथि तक तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति प्रकिया से बाहर हो जाएंगें तथा इसके पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :–

(10.1) अंकसूची/उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ही स्वीकार किये जाऐंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा।

(10.2) प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है सिर्फ उन्हीं को **पात्रता धारित करने पर** अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के प्रवर्ग/ श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

(10.3) प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 25 अगस्त 2025 तक के अर्जित निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता तथा अगस्त 2025 तक के वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र ही मान्य होंगें। इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगें,अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में अगस्त 2025 तक जिन अभ्यर्थियों के पास तीन सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव,तथा प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस का अनुभव होगा उन्हें ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

10.3.1 अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र निम्नानुसार मान्य किया जाना है–

(1) स्कूल शिक्षा विभाग – जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र GFMS पोर्टल पर देखे जा सकते है।

(2) आदिम जाति कल्याण विभाग :–जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया प्रमाण–पत्र। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जनजातिय कार्य विभाग के जारीकर्ता अधिकारी से संबंधित के प्रमाणपत्रों का प्रमाणिकरण कराया जाएगा।

10.3.2 यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पदित की जाये।

10.3.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उस मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि में नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि का अतिथि शिक्षक अनुभव हेतु मान्य किया जाएगा।

10.3.2.2 ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उस स्थान/मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी से नियमित उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि का अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा।ऐसी स्थिति में उस अवधि को छोड़कर यदि शेष अवधि में न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में अमान्य की जाएगी।

10.3.2.3 अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वह उसके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में किये गये सभी सत्रो के अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र अपलोड करे एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

(10.4) जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्राप्त हुये है,उन्हे दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी।

(10.5) चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है। दिव्यांगता प्रमाणपत्र में 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

(10.6) एक सत्र में दो उपाधि के संबंध में संचालनालय के पत्र क्र. 777 दिनांक 19.4.2022 से जारी निर्देश लागू होंगें।

(10.7) कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है।

(10.8)) अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगें।

11/ महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां :–

कमांक	विवरण	प्राथमिक शिक्षक
1	अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना दस्तावेज अपलोड करना, जिले का विकल्प चयन करना	18 से 20 जुलाई 2026
2	अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन कराना	19 से 21 जुलाई 2026
3	जिला आवंटन सूची के आधर पर शाला विकल्प चयन	पोर्टल पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी

विशेष—उपरोक्त तिथि अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल/दूरभाष क्रमांक पर एसएमएस तथा ई—मेल के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी https://trc.mponline.gov.in पद पर ऑनलाईन चेक कर सकेगें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

प्राथमिक शिक्षक(विशेष शिक्षा) नियोजन अंतर्गत चयन सूची के अभ्यर्थियों का दस्तावेज का सत्यापन

अभ्यर्थी का नाम.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. मोबाइल नंबर...विषय...................................पता...चयन प्रवर्ग...
...........................ई–मेल आईडी...

स. क्र.	शीर्षक/संलग्न किये जाने वाले प्रमाणपत्र	विवरण					रिमार्क–परीक्षणकर्ता
1	TET की अंकसूची	विषय	रोल नंबर/एप्लीकेशन नंबर	अंक	परिणाम	वर्ष	
2	चयन परीक्षा की अंकसूची	विषय	रोल नंबर/एप्लीकेशन नंबर	अंक	परिणाम	परसेंटाइल	
3	प्रवर्ग/श्रेणी जाति प्रमाणपत्र संलग्न)	प्रमाणपत्र का कमांक	दिनांक	जारीकर्ता का पदनाम	जाति/श्रेणी	मूल प्रवर्ग	
4	हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री की अंकसूची के अनुसार जन्मतिथि (अंकसूची संलग्न करे)	बोर्ड का नाम	प्राप्तांक	वर्ष	जन्मदिनांक	प्रतिशत	
5	आरसीआई प्रमाणपत्र विवरण	सीआरआर नम्बर	जारी दिनांक		वैधता अवधि		
6	स्पेशल डीएलएड /स्पेशल बीएल एड	बोर्ड/संस्थान का नाम	प्राप्तांक	वर्ष	अवधि	MODE (स्वाध्यायी /दूरस्थ/नियमित	
7	स्नातक के (तीनों वर्ष/सभी सत्रों की अंकसूची संलग्न) सेमेस्टर होने पर प्रत्येक	विश्वविद्यालय का नाम .					
		प्रथम वर्ष.विषय	द्वितीय वर्ष. विषय		तृतीय वर्ष. विषय	MODE (स्वाध्यायी /दूरस्थ/नियमित	
		1					
		2					

	शीर्षक/संलग्न किये जाने वाले प्रमाणपत्र	विवरण				रिमार्क–परीक्षणकर्ता
	सेमेस्टर की अंकसूची संलग्न करे।	3				
8	अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाणपत्र के सत्र लिखे(सत्रवार अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करें)	सत्र	अध्यापन दिवस		जारीकर्ता का नाम	
		1. 2. 3. 4. 5.				
		कुल अध्यापन दिवस(योग)				
9	दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में विवरण (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करे)	दिव्यांगता (हॉ/नहीं)...श्रेणी......... ....प्रतिशत.........................दिव्यांगता का प्रकार(स्थाई/अस्थाई)............................... .भूतपूर्व सैनिक (हॉ/नहीं)......................... भू.पू.सैनिक सेवा अवधि ....से...........................तक। (वर्ष........................)			प्रमाणपत्र का कमांक /दिनांक	
10	रोजगार कार्यालय का पंजीयन कमांक	पंजीयन कमांक,	दिनांक			
11	एनसीसी सर्टिफिकेट का विवरण	कमांक दिनांक	जारीकर्ता का नाम		श्रेणी	
12	क्या पूर्व से शासकीय सेवा में है विभाग का नाम/पदनाम/एनओसी	विभाग का नाम	पदनाम		**NOC** विवरण–पत्र क. दिनांक	
13	अन्य विवरण (आयु छूट इत्यादि से संबधित)					

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता टीपः–...

....

परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.........................

पदनाम....................

परिशिष्ट ''एक''

प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) नियोजन 2026
दस्तावेजों की सूची

1. पात्रता परीक्षा की अंकसूची
2. चयन परीक्षा की अंकसूची
3. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु –10वीं / 12 वीं की अंकसूची
4. मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेण्ड्री– 12वीं
5. UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक उपाधि की अंकसूची – सभी सेमेस्टर / वर्षों की
6. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो– (लागू होने की दशा में)
7. म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
8. अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)
9. स्थायी दिव्यांगता (40 प्रतिशत अथवा अधिक) / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो– (लागू होने की दशा में)
10. NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड / स्पेशल डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर / वर्षों की
11. स्पेशल डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए CRR नंबर एवं रजिस्ट्रेशन की प्रति
12. भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक का प्रमाणपत्र
13. आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो– (लागू होने की दशा में)
14. म.प्र. का जीवित रोजगार पंजीयन.
15. उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति (लागू होने की दशा में)
16. NCC का C प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)
17. शासकीय सेवक की स्थिति में NOC(लागू होने की दशा में)
18. अन्यः–यदि कोई हो